हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पाँवटा साहिब द्वारा दिनांक 19।6।2018 को श्रीयुत आदित्या इन्डस्ट्रीस, गाँव रामपुर जटान, नाहन रोड, काला आम्ब, जिला सिरमौर के 12 एम0टी0 की दो अतिरिक्त प्रेरण भट्टियाँ 2x12 MT लगाने तथा 21600 एम0टी0पी0ए0 एम0एस0 इनगटस तथा बिलटस की वर्त मान उत्पादन क्षमता के साथ कुल क्षमता 86400 एम0टी0पी0ए0 के प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्य वाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पावँटा साहिब द्वारा दिनांक 19।6।2018 को प्रातः 11:00 बजे आम सुविधा केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र, काला आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर मे प्रस्तावित श्रीयुत आदित्या इन्डस्ट्रीस, गाँव रामपुर जटान, नाहन रोड, काला आम्ब, जिला सिरमौर के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या SO 1533 दिनांक 14।9।2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रकिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में किया गया । इस जन सुनवाई मे उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न 1 में उपलब्ध है ।सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पाँवटा साहिब के अधिकारी/प्रतिनिधी द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया ।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावकों एवं उनके तकनिकी परामर्शदाता के प्रतिनिधी द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे मे अवगत कराया ।अंत मे कम्पनी के प्रतिनिधी ने स्थानीय जनता से परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई आरम्भ की गई । इस जन सुनवाई मे उठाए गये मुदद्दों की कार्यावाही का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क0स0	नाम	उठाये गये मुददे	मुदद्दों पर टिप्पणी
1	सुभाष, गाँव रामपुर जटान	उन्होने कहा कि परियोजना प्रस्तावक केवल बातें ही करते है । परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनी मे प्रयोग होने वाला पानी पूरी तरह रिसाईकल किया जाये और स्थापित DG में ध्वनि रोधक यण्त्र लगाये जाये ।	उपायुक्त महोदय ने कहा कि इनके द्वारा उठाये गये मुददे उचित है और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को यह सुन्शिचित करना होगा कि कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का गन्दा पानी बाहर न छोड़ा जाये । कम्पनी प्रबन्धन ने कहा कि वे प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणो को लगातार चलायेंगे तथा उनकी समय-2 पर मरम्मत की जायेगी।
2	राजीव, वार्ड मैम्बर रामपुर जटान	कम्पनी द्वारा वाहन खडे करने का प्रबन्ध सही नहीं है ।कम्पनी के वाहन कम्पनी के बाहर सडक पर खडे रहते हैं जिससे आस	कम्पनी प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी से किसी भी प्रकार का गन्दा पानी नहीं छोडा जाता है उसे पूरी तरह रिसाईकल किया जायेगा। कम्पनी द्वारा केवल भट्टीयों को ठन्डा

Scanned by CamScanner

		पास के लोगो को परेशानी होती है ।इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा गन्दा पानी खेतो में गिराया जाता है कम्पनी को सुनिश्चित करना होगा कि यह गन्दा पानी PWD के नाले मे गिराया जाये ।	करने के लिये पानी का प्रयोग किया जाता है । कम्पनी प्रबन्धन द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि कम्पनी की गाडियों से आस पास के लोगो को कोई परेशानी नहीं होगी । उपायुक्त महोदय ने कहा कि कम्पनी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी गाडी सडक पर खडी न हो । इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह का गन्दा पानी कम्पनी द्वारा बाहर न छोडा जाये ।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के संदर्भ मे अपने विचार/सुझाव/आप्पतियां प्रकट करने का आहवाहन किया गया ।

जन सुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा समस्त कार्य वाही का सार उपस्थित लोगो के समक्ष हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया । अंत मे जन सुनवाई के समापन पर प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी ने सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया ।

उपायुक्त
जिला सिरमौर

Scanned by CamScanner